GOVT. OF INDIA- RNI NO. UPBIL/2014/56766
UGC Approved Care Listed Journal
ISSN 2348-2397

QIS

Shodh Sarita

An International Multidisciplinary Quarterly
Bilingual Peer Reviewed Refereed Research Journal

• Vol. 7 • Issue 28 • October to December 2020

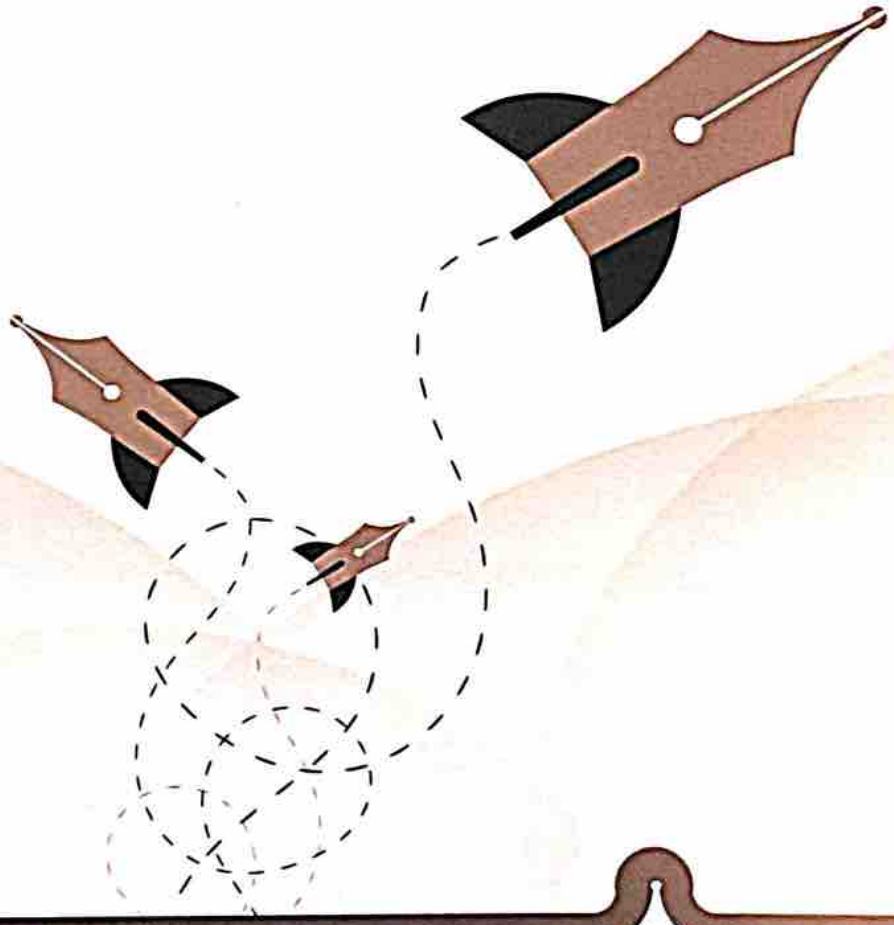

Editor in Chief
Dr. Vinay Kumar Sharma
D. Litt. - Gold Medalist

SANCHAR
Educational & Research Foundation

SHODH SARITA FAMILY

Honorary Patrons

Prof. Harmohinder Singh Bedi
Chancellor – Central University of Himachal Pradesh, Dharamshala

Prof. Sangita Srivastava
Vice-chancellor
Central University of Allahabad

Prof. Alok Kumar Rai
Vice-chancellor
University of Lucknow

Prof. Anil Shukla
Vice-chancellor
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

Editorial Advisory Committee

Prof. Arun Kumar Bhagat
Mahatma Gandhi Central University, Motihari (Bihar)

Prof. Harishankar Mishra
Lucknow University, Lucknow

Prof. Govind Ji Panday
Babasaheb Bhimrao Ambedkar Central University, Lucknow

Prof. Ram Kali Saraf
Banaras Hindu University

Prof. Sheela Mishra
Usmania University, Hyderabad

Dr. Asheesh Srivastava
Mahatma Gandhi Central University, Motihari (Bihar)

Dr. Rakesh Rai
Nagaland University, Kohima, Nagaland

Dr. Neeraj Shukla
Khwaja Moinuddin Chishti Language University, Lucknow

Dr. Madhusudan Joshi
Central University of Hyderabad

Dr. Praveen Tiwari
M.J.P. Ruhailkhand University, Bareilly

Special Advisory Committee

Prof. Sadanand Gupta, Executive Chairman U.P. Hindi Sansthan

Dr. Daau Ji Gupt, Chairman- Akhil Vishva Hindi Samiti, New Yor

K.K. Yadav (IPS), Post Master General, Varanasi

Narayana Kumar- Active Hindi Sevi, New Delhi

Prof. S. Rituparn, Director- Birla Foundation, New Delhi

Prof. T.N. Shukl, Chairman- Bhartiya Sahitya Parishad

Prof. Suryakant Tripathi, Tezpur University, Tezpur, Assam

Prof. H. Subadani Devi, Manipur University, Manipur.

Prof. Ramesh Chandra Tripathi, University of Lucknow

Prof. Arun Hota, West Bengal State University, Baarasaat, Kolka

Prof. Alka Pandey, Lucknow University, Lucknow

Dr. Kavita Tyagi, Dr. Shakuntala Mishra University, Lucknow

Foreign Editorial Advisory Committee

Prof. Vinod Kumar Mishra
Secretary General, World Hindi Secretariat, Mauritius

Dr. Sher Bahadur Singh
Chairman, International Hindi Association, New York, Americ

Prof. Pushpita Awasthi
Director Hindi Universe Foundation, Netherlands

Prof. Alka Dunputh
Mahatma Gandhi Sansthan, Moka, Mauritius

Ramess Ramburn
President, Hindi speaking Union Mauritius

Archana Painuly
Prominent Writer, Denmark

Dr. Bindeshwari Agrawal
New York University, New York

Ramesh Joshi
Chief Editor- Vishwa, Ohio, America

UGC APPROVED
CARE LISTED JOURNAL
GOVT. OF INDIA - RNI No. UPBIL/2014/56766

ISSN No. 2348-2397

Shodh Sarita

AN INTERNATIONAL MULTIDISCIPLINARY QUARTERLY BILINGUAL
PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

• Vol. 7 • Issue 28 • October - December 2020

EDITORIAL BOARD

Prof. Sudheer Pratap singh
Jawahar Lal Nehru University, New Delhi

Prof. Parmeshwari Sharma
University of Jammu, Jammu

Prof. Kumud Sharma
Delhi University, Delhi

Prof. Ram Prasad Bhatt
Hamburg University, Germany

Prof. S. K Sharma
Mizoram University, Mizoram

Prof. Girish Pant
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

Prof. S. Chelliah
Madurai Kamraj University, Madurai

Prof. Ajay Kumar Bhatt
Amity University, Haryana

Prof. Pavitar Parkash Singh
Lovely Professional Universiy, Punjab

Prof. M.P. Sharma
Jamia Millia Islamia University, New Delhi

EDITOR IN CHIEF

Dr. Vinay Kumar Sharma
Chairman
Sanchar Educational & Research Foundation, Lucknow

PUBLISHED BY

sanchar
Educational & Research Foundation

28.	EMPLOYEERETENTION STRATEGIES IN A CURRENT SCENARIO FOR INDIAN COMPANIES	Ayushi Agarwal Sumit Kumar Singh	173
29.	GEORGE WILLIAM TRAILL THE FOUNDER OF BRITISH ADMINISTRATION IN KUMAUN HILLS	Pooja Sharma	180
30.	HIGHER EDUCATION IN COLONIAL ASSAM: A HISTORICAL APPROACH	Dr. Sudev Chandra Basumatary	184
31.	STUDYING KINSHIP RELATIONS OF THE TAI AHOM COMMUNITY IN ETHNOLINGUISTIC PERSPECTIVE: FAMILY STRUCTURE AND CODE OF CONDUCT	Khammoun Phukan Arup K Nath	190
32.	PREVALENCE AND PATTERN OF CONSUMPTION OF ALCOHOLIC BEVERAGES IN KERALA: A STUDY OF COLLEGE STUDENTS IN CENTRAL KERALA	Dr. Kumar Gaurav	199
33.	समसामयिक सन्दर्भ में 'लहरा' : एक सांगीतिक विश्लेषण	मोहन लाल	205
34.	रमेश चन्द्र शाह की डायरी एवं संस्मरण का आलोचनात्मक अध्ययन	कृपा शंकर	210
35.	कोरोना काल में बुजुर्गों का मानसिक स्वास्थ्य एवं योग : एक मनोविश्लेषणात्मक विवेचना	डॉ० वीणा	213
36.	डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचार और उसकी प्रासंगिकता	डॉ. पीयूष भादविया	219
37.	'मुआवजे' में मानवीय मूल्यों का ह्रास	सोनम सिंह प्रो. (डॉ.) दामोदर मिश्र	225
38.	राजकीय एवं निजी विद्यालयों में अध्ययनरत किशोर एवं किशोरियों में अन्तर्निहित मनोवैज्ञानिक कठोरता का लिंग के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन।	सुमित पाण्डे डॉ0 चारू शर्मा	229
39.	उत्तर प्रदेश का राजनीतिक इतिहास : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन	डॉ0 भावना त्रिवेदी अभिषेक सिंह	235
40.	कौशल विकास एवं आत्मनिर्भर भारत	डॉ० अलका नायक डॉ० वर्षा राहुल	240

ISSN - 2348-2397
APPROVED UGC CARE
SHODH SARITA
SHODH SARITA
Vol. 7, Issue 28, October to December 2020
Page Nos. 219-224
AN INTERNATIONAL BILINGUAL PEER REVIEWED REFEREED RESEARCH JOURNAL

डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचार और उसकी प्रासंगिकता

डॉ. पीयूष गादविया*

ABSTRACT

इस शोध आलेख में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के आर्थिक विचारों एवं उसकी प्रासंगिकता पर चर्चा की गयी है। डॉ. अम्बेडकर ने अपनी उच्च शिक्षा अर्थशास्त्र में की थी। उन्होने कोलम्बिया विश्वविद्यालय, अमेरिका एवं लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ब्रिटेन से पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की। उनका मानना था कि सामाजिक समानता के बिना आर्थिक उन्नति संभव नहीं है। अपने अध्ययन के दौरान उनकी थीसिस में भारत की आर्थिक समस्याओं और समाधान का विस्तृत उल्लेख है। उन्होंने भारत की आर्थिक स्थिति का सूक्ष्म आकलन किया था और उसकी उत्तरोत्तर प्रगति पर अपने विचार प्रस्तुत किए। उन्होंने कृषि, बीमा कम्पनियों एवं बैंकों के राष्ट्रीयकरण की बात कही। वे स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्ण प्रतिमान के समर्थक थे। उन्होने श्रमिकों के उत्थान के लिए कई कार्य किये और वे श्रम के विभाजन में विश्वास रखते थे, न कि श्रमिकों के विभाजन में। उन्होने सरकार एवं सरकारी अधिकारियों के प्रति विश्वसनीयता, विवेकशीलता एवं मितव्ययिता के मूलभूत मूल्यों को प्रस्तुत किया। उनके आर्थिक विचार स्वतंत्रता के पश्चात् कई क्षेत्रों में अपनाये गये और उससे भारत की प्रगति हुई।

Keywords : *समानता, थीसिस, उत्तरोत्तर, स्वर्ण मुद्रा, राष्ट्रीयकरण।*

डॉ. भीमराव अम्बेड़कर ने 1912 ई. में बम्बई के प्रख्यात एलफिंस्टन कॉलेज से अर्थशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र में बी.ए.की डिग्री प्राप्त की। बड़ौदा के महाराजा द्वारा उच्च शिक्षा के अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति दिए जाने के बाद अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। यहां उन्होने दो एम.ए. की डिग्री एवं पीएच.डी. की डिग्री प्राप्त की, जिसमें उनके शोध निर्देशक प्रख्यात अर्थशास्त्री आर्थर सेलिगमेन थे। इसके बाद डॉ. अम्बेडकर इंग्लैण्ड चले गए, जहाँ 1921 ई. में लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एम.एससी. की डिग्री प्राप्त की। 1922 ई. में जर्मनी के बान विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। डॉ. अम्बेडकर ने 1923 ई. में लन्दन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइन्स की डिग्री प्राप्त की। भारत में लौटने के बाद मात्र 27 वर्ष की उम्र में उन्हें बंबई के एलफिंस्टन कॉलेज में राजनीतिक अर्थशात्र के प्रोफेसर की नौकरी मिल गई।

डॉ. अम्बेडकर बुद्ध के अनुयायी थे। बुद्ध का कहना था कि "भूख सबसे बड़ा रोग है और इस रोग का इलाज है, रोटी।" 'रोटी' अर्थात् 'अर्थ' सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। वे ऐसे अर्थशास्त्र का प्रतिपादन करते थे, जिसमें सबको जीवन की आधारभूत सुविधा उपलब्ध हो और इसके लिए उन्होंने प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली और राज्य समाजवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसमें सदियों से उपेक्षित वर्ग के सम्मान और उत्थान को प्राथमिकता दी गई है। उन्होने ने राज्य की उपादेयता को स्वीकार किया। वह चाहते थे कि राज्य के माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन तथा सुधार लाए जाए। उनका राज्य व्यवस्था का सिद्धान्त एकदम राजनैतिक न होकर, सामाजिक और नैतिक भी है।

*सहायक आचार्य, इतिहास विभाग, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर

प्रादेशिक वित्त से सम्बन्धित विचार :

'ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक वित्त का विकास', डॉ. अम्बेडकर द्वारा उनकी पीएच.डी. की उपाधि के लिए कोलंबिया विश्वविद्यालय को प्रस्तुत किया गया शोध प्रबंध है, जो 1917 ई. में पूर्ण हुआ तथा पुस्तक के रूप में 1925 ई. में प्रकाशित किया गया। इस पुस्तक में 1833–1921 ई. तक की अवधि के दौरान भारत की केन्द्र सरकार तथा तत्कालीन प्रांतों के बीच आर्थिक संबंधों का विश्लेषण किया गया है।

सार्वजनिक वित्त के क्षेत्र की समस्या सर्वपरिचित है। बढ़ती हुई जिम्मेदारियों को निभाने के लिए सरकार को करों के जरिए अधिक से अधिक राजस्व जुटाना आवश्यक हो जाता है, परंतु भारत जैसे गरीब देश में करों में वृद्धि द्वारा संसाधन जुटाने पर स्पष्ट रूप से आर्थिक सीमाएँ है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि शासन के विभिन्न स्तरों अर्थात् केन्द्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय शासकीय संस्थानों में यह जिम्मेदारी समुचित रूप से बाँट दी जाए।

आरंभ से ही भारत की राजस्व व्यवस्था को घाटे का सामना करना पड़ा, जिसका परिणाम है बजट घाटा। बजट घाटे को पूरा करना आवश्यक है। परंतु इसके लिए किसी भी प्रकार से राजस्व में वृद्धि लाने का प्रयास करना ही एकमात्र उपाय नहीं है। देश की स्थिरता तथा उत्पादन क्षमता को ध्यान में रखकर ही राजस्व बढ़ाने के लिए योजनाओं पर विचार किया जाना आवश्यक है। डॉ. अम्बेडकर लिखते है "बुद्धिमानी इसी में है कि जिन लोगों को देश के वित्तीय प्रबंध का दायित्व सौंपा गया है, वे पैसा एकत्रित करने और खर्च करने के निकटतम लक्ष्य से आगे भी देखें, क्योंकि वित्त जुटाने में 'कितना' के साथ–साथ 'कैसे' का भी महत्व है, यह भूला नहीं जा सकता। 'सामाजिक संपत्ति' ही किसी राष्ट्र का पैतृक धन होती है, तथा इसे क्षति पहुँचाना राष्ट्र को नष्ट करने के समान है।" डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारत की वित्त व्यवस्था में यही एक दोष था।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, ब्रिटिश भारत में प्रादेशिक वित्त (1921 ई. तक) का विकास तीन अलग–अलग चरणों में हुआ तथा प्रत्येक चरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रान्तों को सहायता देने की अपनी एक विशिष्ट व्यवस्था थी। इन तीन चरणों को डॉ. अम्बेडकर ने नाम दिए हैं – 'निर्धारित बजट', 'निर्धारित राजस्व आधारित बजट' तथा 'राजस्व बँटवारे पर आधारित बजट'।

स्वतंत्र भारत के संविधान के अनुसार वित्त आयोग की नियुक्ति हर पाँच वर्षों में की जाती है तथा यह आयोग केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच संसाधनों के बँटवारे के विषय में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करता है। यह डॉ. अम्बेडकर के ही विचारों की देन है।

कृषि क्षेत्र से सम्बन्धित विचार :

डॉ. अम्बेडकर कृषि क्षेत्र में छोटी जोतो एवं विखण्डन को देखते हुए, सामूहिक कृषि तथा कृषि क्षेत्र में अदृश्य बेरोजगारी के समाधान हेतु बड़े उद्योगों और औद्योगीकरण के समर्थक थे।

डॉ. अम्बेडकर कृषि कां राष्ट्रीयकरण चाहते थे। उनका सुझाव था कि कृषि को उद्योग का दर्जा प्राप्त हो। राज्य कृषि योग्य भूमि को एक निश्चित मानदण्डों के अनुसार फार्मों में विभाजित करेगा। ये फार्म गाँवों के विभिन्न परिवारों से मिलकर बने समूहों को एक काश्तकार के रूप में कुछ शर्तों पर दिए जाएंगे।

उनका लेख "स्मॉल होल्डिंग इन इंडिया एण्ड देयर रेमेडीज़" जो कि 1918 ई. में जर्नल ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स सोसायटी में छपा था, में डॉ. अम्बेडकर ने कृषि के पिछड़ेपन का आर्थिक विश्लेषण प्रस्तुत किया और इसके समाधान हेतु कृषि को उद्योग के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा।

भूमि और श्रम के संबंध में पूंजी की कमी के कारण आर्थिक पिछड़ेपन की समस्या ही मूलतः कृषि पिछड़ेपन की समस्या का मूल कारण था। इसलिए इसका समाधान डॉ. अम्बेडकर ने इस प्रकार बताया हैं –भूमि और श्रम उत्पादकता में सुधार करना, कृषि आय को बढ़ाना और उत्पादन पर निवेश की बचत हेतु घरेलू क्षमता का विस्तार करना। उनके अनुसार भूमि पर कृषि श्रमिक अधिक हैं, तो उन्हें उद्योगों में स्थानांतरित किया जा सकता है।

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि भारत में छोटी जोतों की समस्या, दरअसल उसकी सामाजिक

अर्थव्यवस्था की समस्या है। अगर हम इस समस्या का स्थायी हल चाहते हैं, तो हमें मूल बीमारी का इलाज खोजना होगा। हमें ऐसा करने से पहले यह जानना होगा कि हमारे देश की सामाजिक अर्थव्यवस्था खराब क्यों हैं– किसी व्यक्ति की तरह, किसी समाज की आय दो चीजों पर निर्भर करती है– 1. किए गए प्रयास 2. संपत्ति के उपयोग।

उनके अनुसार किसी व्यक्ति या समाज की कुल आय या तो उसके द्वारा वर्तमान में किए जा रहे श्रम से आती है या उस उत्पादक संपत्ति से जो उसके पास पहले से है। इस तरह यह स्पष्ट है कि हमारी कृषि संबंधी समस्याओं की जड़ हमारी खराब सामाजिक अर्थव्यवस्था में है। भारत में छोटी जोतों की समस्या का हल, जोतों को बड़ा करना नहीं बल्कि पूंजी और पूंजीगत माल में वृद्धि करना हैं। पूंजी का निर्माण बचत से होता है और राजनीति अर्थशास्त्र के सभी विद्यार्थी जानते हैं कि अतिशेष उत्पादन के बिना बचत संभव नहीं है।

वे प्रासंगिक आँकड़ों का उपयोग कर यह सिद्ध करते हैं कि पूंजी और पूंजीगत माल की कमी ही निम्न उत्पादकता का कारण है। इसके बाद वे सभी उपलब्ध विकल्पों पर विचार करते हैं। इनमें चकबंदी, वर्तमान जोतों का संरक्षण, जोतों को और छोटा होने से रोका जाना शामिल हैं। अंत में वे इस समस्या के लिए अपना इलाज प्रस्तावित करते हुए कहते हैं– "भारत की कृषि संबंधी समस्याओं को हल करने का सबसे अच्छा उपाय है– औद्योगीकरण। वे कहते थे कि इससे अकार्यशील श्रम, अतिशेष उत्पादन का अभाव व कृषि भूमि पर दबाव की समस्याएँ एक झटके में समाप्त हो जाएगी और छोटे जोतों के और छोटे होते जाने की प्रक्रिया थम जाएगी।"

बीमा से सम्बन्धित विचार :

बीमा कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। इससे न केवल लोगों के आर्थिक हितों की सुरक्षा होती है, बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होती है। बीमा पर राज्य का एकाधिकार होना चाहिए। राज्य प्रत्येक व्यस्क नागरिक को जीवन बीमा पॉलिसी लेने पर मजबूर करे। यह बीमा व्यक्ति की आय के अनुकूल हो, जिसे विधान सभाएं निर्धारित करें।

राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी एक प्राइवेट बीमा कम्पनी की अपेक्षा व्यक्तिगत सम्पत्ति की सुरक्षा का उत्तरदायित्व अधिक लेती है। राज्य बीमा कम्पनी कैसी भी परिस्थिति में धन लौटाने का पूरा दायित्व निभाती हैं, इसमें व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता है।बीमा धन राज्य के पास सुरक्षित रहता है। राज्य बीमा कम्पनियों के द्वारा राज्य के पास भी एक निश्चित पूँजी आ जाती है, जिसे वह अपने औद्योगिक कार्यों में लगा सकते है। डॉ. अम्बेडकर देश के प्रथम अर्थशास्त्री थे, जिन्होने भारत में बीमा के राष्ट्रीयकरण का सुझाव दिया था। इसी आधार पर बीमा पॉलिसी का सरकारीकरण किया गया है।

बैंकों से सम्बन्धित विचार :

डॉ. अम्बेडकर भारतीय बैंको का राष्ट्रीयकरण चाहते थे। उनके इस विचार को 19 जुलाई, 1969 को भारत सरकार ने अपनाया और 14 बड़े बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। इसी कड़ी में 16 अप्रेल, 1980 में 6 और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया।

भारत की मौद्रिक नीति से सम्बन्धित विचार :

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि स्थिर मौद्रिक स्थितियाँ लाने के लिए सबके लिए एक मूल्यमान बनाए जाने की आवश्यकता थी। विश्व के सभी प्रमुख देशों ने स्वर्णमान अपना लिया था। अतएव यह उचित होगा कि भारत भी रजतमान त्यागकर स्वर्णमान अपना ले। टेंपल योजना (1872 ई.), स्मिथ योजना (1876 ई.), केन्द्र सरकार की योजना (1898 ई.) आदि विविध योजनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण करते हुए, वे कहते हैं "वास्तव में स्वर्ण विनिमय मान की स्थापना करने का सरकार का हेतु न था, परंतु स्वर्णमान का सही स्वरूप कैसा होना चाहिए इससे वे तथाकथित विद्वान अनभिज्ञ थे, अतएव उनके हाथों अनायास स्वर्णमान के स्थान पर स्वर्ण विनिमय मान स्थापित किया गया।"

डॉ. अम्बेडकर का अनुरोध था कि एक ऐसी व्यवस्था स्थापित की जाए, जो मुद्रा निर्माण पर पूरी तरह अंकुश रख सके। रिजर्व बैंक की स्थापना के लिए जिस 'हिल्टन यंग कमीशन' ने सिफारिश की, उसके समक्ष अपने बयान में 1925 ई. में भी डॉ. अम्बेडकर ने यही कहा। डॉ. अम्बेडकर का कहना था कि भारतीय रूपया का आधार सोना होना चाहिए,

चाँदी नहीं। अम्बेडकर स्वर्ण मुद्रा के साथ स्वर्ण प्रतिमान के हामी थे, बशर्ते मुद्रा प्रबंधन मजबूत हो। उनका कहना था कि "उपभोग्य सामग्री के संदर्भ में रुपये की कीमत स्थिर रहनी चाहिए। उनका निष्कर्ष यह था कि स्वचालित व संतुलित मौद्रिक प्रबंधन के जरिए कीमतों को स्थिर रखा जाए। यह वर्तमान में बहुत प्रासंगिक है, जब बजट घाटा बढ़ता है और उसका मुद्रीकरण होता है। ऐसा लगता है कि हमें एक ऐसे स्वाचलित तंत्र की आवश्यकता है, जो चलनिधि के निर्माण पर प्रभावकारी ढंग से नियत्रंण लगा सके।"

उद्योगों से सम्बन्धित विचार :

डॉ. अम्बेडकर का मानना था कि मूल एवं बड़े उद्योग जैसे इंजीनियरिंग, इस्पात, खनन, संचार, परिवहन और अन्य उपकरण राज्य के अधीन होंगे जिनका संचालन राज्य द्वारा होगा। जो मूल उद्योग नहीं है, किन्तु बुनियादी उद्योग हैं, उस पर राज्य का अधिकार होगा और वे राज्य द्वारा स्थापित नियम द्वारा चलाए जाएंगें। जिन उद्योगों में बहुत बड़ी पूंजी की जरूरत हो, वहाँ सरकार को पूंजी निवेश करना चाहिए, अन्यथा उद्योगों एवं व्यवसाय करना निजी उद्यमियों का काम है, इसलिए सरकार को उसे बढ़ावा देना चाहिए।

भारत के स्वतन्त्र होने के पश्चात् 1948 ई. की प्रथम औद्योगिक नीति और 1956 ई. की दूसरी औद्योगिक नीति उन्हीं के विचारों की देन है, जिसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है।

श्रम से सम्बन्धित विचार :

देश के आर्थिक विकास हेतु श्रमिक का महत्त्व अधिक है। वह विशेष रूप से शांति, आवास, कपड़े, शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, और इनसे बढ़कर इज्जत के साथ कार्य करने के श्रमिक अधिकार हेतु चिंतित थे। राष्ट्र को न केवल श्रमिक के लिए उचित कार्य परिस्थितियों का ध्यान रखना चाहिए बल्कि साथ ही साथ जीवन यापन के लिए उचित परिस्थितियों को सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिए।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्र श्रम को अधिक उत्पादक बनाने के लिए राष्ट्र को अपने प्रावधानों में निम्न बिन्दु शामिल करने चाहिए– 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त या अनुदानिक शिक्षा, चिकित्सा सुविधा, पानी की आपूर्ति एवं विद्युत सहित अन्य सार्वजनिक उपयोग। इसके अतिरिक्त उनके अन्य लक्ष्य थे–मजदूरी का उचित भुगतान,मातृत्व और बीमारी लाभ एवं छुट्टियाँ।

डॉ. अम्बेडकर ने 1936 ई. में श्रमिक वर्ग के कल्याण और प्रगति हेतु "इंडिपेंडेट लेबर पार्टी" की स्थापना करी। उन्होंने असंगठित मजदूरों की समस्या को समझा और उनके हितों के लिए इस नई पार्टी के माध्यम से कार्य प्रारम्भ किये।बेरोजगारों और भूमिहीनों की सहायता के लिए भूमि पुनर्वास और सार्वजनिक कार्य का सुझाव देते हुए, निम्न वायदे किए– साहुकारों के चुंगल से किसानों की सुरक्षा हेतु कानून बनाना, भूमि राजस्व का कड़ा विरोध करना,कर की अधिक न्यायोचित प्रणाली के लिए अभियान चलाना और भूमि बंधक बैंकों और कृषि उत्पादक सहकारी और विपणन समितियों का निर्माण करना। 1930 ई.में उनके द्वारा स्थापित साप्ताहिक 'जनता' के संस्करणों को पढ़कर श्रमिक हितों एवं सुरक्षा के संबंध में उनके विचारों को अधिक समझा जा सकता है।

उन्होंने बिना लिंग भेदभाव के सभी को समान कार्यों के लिए समान वेतन की बात कही। उन्होंने श्रमिकों को छुट्टी का वेतन दिए जाने की वकालत की।उनकी सिफारिश पर श्रम कल्याण निधि की स्थापना की गयी थी, कार्य समय 10 घंटे से 8 घंटे किया गया और महिला श्रमिकों को मातृत्व अवकाश देना प्रारम्भ हुआ। अन्य महत्वपूर्ण अधिनियमों को बनवाने में उन्होंने योगदान दिया जैसे–भारतीय ट्रेड़ यूनियन अधिनियम, मातृत्व लाभ अधिनियम, श्रमिक मुआवजा अधिनियम,कारखाना अधिनियम,वेतन का भुगतान अधिनियम और न्यूनतम वेतन का सुरक्षा अधिनियम।

डॉ. अम्बेडकर के अनुसार भारत में धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था, श्रम के विभाजन के बजाय, मजदूर के विभाजन को पाखंडपूर्ण तरीके से करती है। उन्हें अपने बाद के वर्षों में जाति समस्या को हल करने के लिए अपना रास्ता बदलना पड़ा। भारत में जाति प्रथा और अस्पृश्यता जैसी सामाजिक समस्याओं का आर्थिक दृष्टिकोण से विश्लेषण करने वाले प्रथम अर्थशास्त्री डॉ. अम्बेडकर थे। उनके अनुसार सभ्य समाज को श्रम विभाजन की आवश्यकता होती है।

परंतु दुनिया के किसी भी अन्य सभ्य समाज में ऐसा नहीं हुआ कि श्रम विभाजन को श्रमिकों के विभाजन से जोड दिया गया हो। उनके अनुसार जाति प्रथा एक ऐसा श्रेणीबद्ध संगठन है, जिसमें श्रमिकों का वर्गीकरण किया जाता है। किसी भी अन्य देश में श्रम विभाजन को श्रमिकों के ऊँचे या नीचे होने से संबद्ध नहीं किया गया है।

डॉ. अम्बेडकर ने बलपूर्वक कहा कि इस देश की जाति प्रथा, इसके आर्थिक विकास के मार्ग में एक बहुत बड़ी रूकावट बनी हुई है। जाति प्रथा के कारण पूँजी की गतिशीलता में कमी आ जाती है। जाति प्रथा के कारण पूँजी की गतिशीलता पर भी प्रतिबंध लग जाते हैं, क्योंकि व्यवसाय जाति के अनुरूप तय किये जाते हैं। कोई भी उद्योगपति अपनी पूँजी को उसी व्यवसाय में लगाता है, जो वंश परम्परा से उसके लिए नियत की गई हो। इसके फलस्वरूप जाति के बंधनों के कारण पूँजी एवं कर्मचारी दोनों की गतिशीलता शिथिल हो जाती है, जिसकी वजह से निर्माण प्रक्रिया भी धीमी हो जाती है तथा आर्थिक प्रगति थम जाती है। व्यक्ति की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए, उसे अपने जीवन भर का व्यवसाय चुनकर उसे निभा पाने जितनी क्षमता खुद में बनानी है।

धन के व्यय से सम्बन्धित विचार :

भारत के संविधान में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान का औचित्य बताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को जनता से संचित धन का इस्तेमाल न केवल नियमों, कानूनों और विनियमों के अनुरूप करना चाहिए, वरन् यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सार्वजनिक प्राधिकारी, धन के व्यय में विश्वसनीयता, बुद्धिमता और मितव्ययिता से काम लें। इस संदर्भ में 'विश्वसनीयता' का अर्थ है, किसी के विश्वास की रक्षा करना या अपने वचन को पूरा करने के प्रति प्रतिबद्ध होना। सार्वजनिक वित्त की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि सड़कें, कानून व मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके और इसके लाभ कुछ लोगों तक सीमित न होकर सभी को प्राप्त हों। चूंकि इस तरह के व्यय का लागत–लाभ विश्लेषण नहीं किया जा सकता, इसलिए खुला बाजार इनकी पूर्ति नहीं कर सकता। सरकारें इन सार्वजनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ही होती हैं। नागरिक सरकार में विश्वास कर कराधान और व्यय संबंधी निर्णय करने का अधिकार सरकार को सौंपते हैं। इसलिए जो सरकारी अधिकारी शासकीय धन को व्यय करने के संबंध में निर्णय लेते हैं, उनमें उतनी बुद्धिमता होनी चाहिए कि वे नागरिकों के इस विश्वास पर खरे उतरे। तीसरी कसौटी है मितव्ययिता जिसका अर्थ केवल यह नहीं है कि कम से कम धन खर्च किया जाए अपितु यह है कि धन का इस्तेमाल इस तरह से किया जाए कि पाई–पाई का लाभप्रद और पूरा उपयोग हो सके और यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह धन गलत हाथों में न जाए।वे सांख्यिकी विश्लेषण पर आधारित व्यावहारिक और तार्किक वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने के समर्थक थे।

संविधान के संदर्भ में विश्वसनीयता, विवेकशीलता और मितव्ययिता के जिन मूलभूत मूल्यों को डॉ. अम्बेडकर ने प्रस्तुत किया, वे ही सरकार की आर्थिक नीतियों और धन व्यय करने के निर्णयों का आधार होना चाहिए। वर्तमान या भविष्य में आने वाले संभावित समस्याओं के हल के लिए डॉ. अम्बेडकर के विचार हमारे नीति–निर्माताओं का पथ प्रदर्शित करते रहेंगे।

जल शक्ति से सम्बन्धित विचार :

डॉ. अम्बेडकर ने देश के आर्थिक विकास के लिए बाँध निर्माण, जलमार्ग विकास, अणुशक्ति द्वारा बाढ़ नियंत्रण, जल सम्पदा एवं जल संरक्षण, आंतरिक जल यातायात आदि विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत किए। इन सभी विचारों को भारत की स्वतंत्रता के बाद अपनाये गये।

निष्कर्ष :

डॉ. अम्बेडकर जहाँ मनुष्य की उत्पादकता को बढ़ाने और धन के संचय के पक्ष में थे, वही संपत्ति के बारे में उनके विचार सतर्क सकारात्मकता पर आधारित थे। उन्होंने लिखा "हम कह सकते हैं कि समस्या संपत्ति में नहीं, बल्कि उसके असमान वितरण में है।" अपने पूरे जीवन में वे फ्रांसीसी क्रांति के मूल मंत्रों–स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के पक्षधर रहे।

डॉ. अम्बेडकर भारत में गरीबी का कारण सामाजिक व्यवस्था को मानते थे, इसलिए वे सामाजिक आर्थिक समता के पक्षधर थे। आर्थिक नियोजन के उद्देश्यों में सामाजिक न्याय को जुड़वाया था। 1991 ई. के बाद भारत में लागू किए गए आर्थिक सुधार, डॉ. अम्बेड़कर की उदार पूंजीवादी विचार धारा पर आधारित हैं। वे केन्द्रीय नियोजन की बजाय राज्यों को योजना बनाने का अधिकार देने वाले विकेन्द्रीकृत नियोजन के समर्थक थे। उन्होंने आर्थिक अनुदान, सामाजिक मदद एवं बेरोजगारी भत्ता को भारतीय विकास के लिए आवश्यक माना जिसे वर्तमान में भारतीय सरकार ने अपनाया है। वे उन चंद

आर्थिक सिद्धान्तकारों में से एक थे, जिनका आर्थिक नीतियों और योजनाओं के प्रति दृष्टिकोण व्यावहारिक और लोकहितकारी था। सामाजिक अर्थव्यवस्था पर उनका जोर, उन्हें आधुनिक आर्थिक चिंतकों में से एक अनूठा स्थान प्रदान करता है। वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में किये जा रहे बदलाव उनके ही विचारों की अभिव्यक्ति है।

संदर्भ :

1. पुरूषोत्तम नागरः *आधुनिक भारतीय सामाजिक एवं राजनीतिक चिंतन,* राजस्थान हिन्दी ग्रन्थ अकादमी, जयपुर, आठवां संस्करण, 2009, पृ. सं. 687–690
2. एम.एल. परिहारः *बाबासाहेब अम्बेडकर, लाइफ एण्ड मिशन,* बुद्धम् पब्लिशर्स, जयपुर, 2017, पृ. सं. 28–340
3. डी.एन.बिस्साः *लाइफ आइडिया एण्ड थॉट ऑफ बी.आर. अम्बेडकर,* ग्लोबल पब्लिकेषनस्, दिल्ली, 2018, पृ. सं. 23–25
4. नरेन्द्र जाधवः *डॉ. अंबेडकर आर्थिक विचार एवं दर्शन,* प्रभात प्रकाशन, दिल्ली, 2017, पृ. सं. 43–94
5. www.forwardpress.in, retrieved on 1.11.2020, 11 A.M.
6. www.omprakashkashyap.word.com retrieved on 2.11.2020, 1 P.M.
7. www.hindi.mynation.com retrieved on 3.11.2020, 11 A.M.

❐❐❐